न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./152/2024

1. अजयसिह पुत्र चन्द्रदेव राठौड़ जाति राजपुत निवासी हरी मार्ग सिविल लाईन, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. महावीर पुत्र भूरापूरी जाति गुसाई निवासी नागोला तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. छीतर पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी नागोला तहसील भिनाय, जिला अजमेर(विलोपित)
3. जीवण पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी नागोला तहसील भिनाय, जिला अजमेर
4. नाथूलाल पुत्र नोरत जाति बैरवा निवासी नागोला तहसील भिनाय, जिला अजमेर
5. श्रीमति गीता पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी नागोला तहसील भिनाय, जिला अजमेर
6. रामकरण पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी नागोला तहसील भिनाय, जिला अजमेर
7. रामचन्द्र पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी नागोला तहसील भिनाय, जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–22.04.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवकुमार जोशी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 680 में दर्ज खसरा नम्बर 3624/3108 रकबा 0.2167 हैक्ट और खसरा नम्बर 3635/3109 रकबा 0.1175 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 0.3342 हैक्ट** जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 07 द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 08 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीयां ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्राथी संख्या 03 लगायत 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 दीवानी जाप्ता वास्ते नाम विलोपित अप्रार्थी संख्या 02 स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 02 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया, तथा पत्रावली में लाल स्याही से अप्रार्थी संख्या 02 के आगे विलोपित अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पत्रावली में तामिली पश्चात उपस्थित होकर, प्रश्नगत आराजी की नियमानुसार पत्थरगढ़ी बाबत अपनी अनापत्ति प्रकट कर पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी दर्ज की। पैरोकार सरकार द्वारा प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताते हुए, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं

होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम नागोला के खाता संख्या 680 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 680 में दर्ज खसरा नम्बर 3624/3108 रकबा 0.2167 हैक्ट और खसरा नम्बर 3635/3109 रकबा 0.1175 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 0.3342 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त, प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर